राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

क्रमांक:– एफ3(103)जांच/परावि/भील/04/ 602 जयपुर,दिनांक 31-1-08

आदेश

श्री पृथ्वीराज मेवाडा, पूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत शम्भूगढ, पंचायत समिति आसीन्द, जिला भीलवाडा के विरूद्ध गलत पटटा जारी करने बाबत शिकायत की विस्तृत जांच मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद भीलवाडा से करवाई गई। जांच अधिकारी ने अपनी जांच रिपोर्ट में उक्त आरोप को आंशिक रूप से प्रमाणित माना। आरोप प्रमाणित पाये जाने के कारण आरोपी सरंपच को परिनिर्णय लेखबद्ध का नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण चाहा गया।

आरोपी सरंपच द्वारा अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि उनके अधिकार क्षेत्र के मकान पर पुश्तैनी पटटा उपलब्ध करवाये जाने हेतु पंचायत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। पंचायत द्वारा पूरी जांच के उपरान्त ही पटटा जारी किया गया है। तथा इस हेतु उनके द्वारा 100/– रू0 पंचायत कोष में जमा कराये जा चुके है।

जांच अधिकारी ने विस्तृत जांच में आरोपो को इस हद तक प्रमाणित माना कि ग्राम पंचायत द्वारा जो पट्टा जारी किया गया है वह पुश्तैनी भूखण्ड का है अर्थात उस पर कोई मकान इत्यादि बना हुआ नही था।

राज्य सरकार द्वारा आरोपी द्वारा प्रस्तुत लिखित अभिकथन एंव जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत विस्तृत जांच प्रतिवेदन मे वर्णित तथ्यो का पूर्णतया विवेचन करने पर यह पाया गया कि प्रकरण में आरोपी के विरूद्ध लगाये गये आरोप पूर्णतया प्रमाणित पाये जाते है।

अतः राज्य सरकार श्री पृथ्वीराज मेवाडा, पूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत शम्भूगढ, पंचायत समिति आसीन्द, जिला भीलवाडा के विरूद्ध राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 38(1)(ख) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुऐ एतद द्वारा परिनिर्णय